राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2121/2013/बूंदी.
2. अपील संख्या – 2122/2013/बूंदी.

मैसर्स अडानी विलमार लिमिटेड,
कोटा जयपुर हाईवे, सिलोर रोड़, जिला बूंदी. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–तृतीय, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी व इशु जैन,
अभिभाषकगण .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 06/वैट/12–13/बून्दी व 4/सीएसटी/12–13/बून्दी में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 26.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–III, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत ब्याज आरोपित करने हेतु पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 09.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. इन दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2008–09 के कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के तहत पृथक–पृथक दिनांक 15.02.2011 को पारित किये गये थे, जिनमें आस्थगन लाभ में से रूपये 47,28,015/– व रूपये 1,11,921/– की राशियों का आस्थगन का लाभ

लगातार.....2

अस्वीकार किया जाकर मांग सृजित की गयी थी। उन कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपील की जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.01.2012 एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपील की जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य की सिविल रिट पिटिशन संख्या 6903/2009 व मैसर्स उमा पोलीमर्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य की एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 10230/2009 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 24.11.2011** के आलोक में माननीय कर बोर्ड द्वारा भी अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार किया गया था। इस तरह अपीलार्थी के मूल कर निर्धारण आदेशों में सृजित मांग राशियों की पुष्टि हो गयी थी परन्तु वे मांग राशियां समय पर जमा नहीं करवाई गई थी बल्कि विलम्ब से जमा करवाई गई थी अतः उन मांग राशियों को विलम्ब से जमा कराने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विवादित आदेश दिनांक 09.08.2012 के जरिये वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज की गणना की गयी है, जो पूर्णतया विधिनुकूल है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा ब्याज निर्धारण के आदेशों की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

5. फलतः अपीलार्थी की दोनों अपीलें अस्वीकर की जाती हैं एवं अपीलीय आदेश एवं उक्त ब्याज निर्धारण हेतु पारित आदेशों की पुष्टि की जाती हैं।

6. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य